

सं० सं०-एस0आई0पी0बी01806000162/.....
सेवा नं.

दिनांक-

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

विषय- मेसर्स नेशनल डेयरी एग्री प्रा० लि०, भभुआ द्वारा अवरहिया, कैमूर (भभुआ) 31500 मे० टन प्रतिवर्ष क्षमता कैटल फीड उत्पादन की ईकाई के स्थापना हेतु प्रथम किस्त ब्याज अनुदान के रूप में कुल रु० 48,27,052/- (मात्र अड़तालिस लाख सत्ताईस हजार बावन रुपए) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।
महाराज,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स नेशनल डेयरी एग्री प्रा० लि०, भभुआ द्वारा अवरहिया, कैमूर (भभुआ) 31500 मे० टन प्रतिवर्ष क्षमता कैटल फीड उत्पादन की ईकाई के स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्यट की बैठक दिनांक 21.08.2018 को स्टेज-1 तथा दिनांक 18.09.2018 की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरन्स प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2018 के नियम- 7 (2) (ii) में निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह ईकाई खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अंतर्गत गैर-प्राथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2018 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में जाने के बाद ही अनुदान देय है। अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्यट सचिवालय के कार्यालय आदेश ज्ञापक-SIPB1806000162/120, दिनांक 01.02.2018 के द्वारा श्री रवि भूषण प्रसाद सिन्हा, सयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कैमूर (भभुआ) द्वारा ईकाईयों का स्थल निरीक्षण कराया गया। जांच दलों के द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 12.05.2017 से कार्यरत बताया गया है। ईकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2018 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए मात्र है।

3. ईकाई को 13 मई 2017 से 31 अक्टूबर, 2018 तक प्रथम किस्त ब्याज अनुदान के रूप में कुल रु० 48,27,052/- (मात्र अड़तालिस लाख सत्ताईस हजार बावन रुपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है-

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री/ लीज/ ठरतांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान की गणना में टूटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।

(iv) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उदघोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(v) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली मू-राजस्व के बकाये के रूप की जाएगी।

4. उक्त राशि का व्यय बहन राज्यादेश सं०-2060, दिनांक-11.06.18 एवं आवंटनादेश सं०-5/DI-B(Allotment)-16/2018, Order No.-1480 dated-13.06.2018 के आलोक में मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80-सामान्य, लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, मांस संख्या 23, उप शीर्ष 0160-प्री प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सभिसि नद में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपबंधित राशि से विकल्पित होगा।

क्रमशः पृष्ठ-2

5. इस राशि के निकारी एवं खयन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगी।
6. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
7. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी० टी० सी० फार्म-25 पर की जाएगी।
8. इस राशि का भुगतान नेशनल ड्रेयरी एग्री प्रा० लि० को उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीयूर में खाता संख्या-35739846568, IFS Code-SBIN0006137 में RTGS के माध्यम से की जाएगी।

बिहार राज्याल क आदेश से

ह०/-

(पंकज कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

दिनांक-

झापांक—एस०आई०पी०बी०1806000182.....

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

झापांक—एस०आई०पी०बी०1806000182.....

दिनांक-

प्रतिलिपि दिन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

झापांक—एस०आई०पी०बी०1806000182..... 13/9

दिनांक- 06-03-19

प्रतिलिपि— महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भभुआ को सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ मेसर्स नेशनल ड्रेयरी एग्री प्रा० लि०, भभुआ को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।